



कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर- जयपुर)
नौगावा - 301 025, अलवर (राज.)

डॉ. एस. एस. यादव
अधिष्ठाता

ई-मेल : dean.coanavgaon@sknau.ac.in मो.: 9414820579

क्रमांक: एफ.(भंडार)/कृ.महा.नौगावां/2024/975

दिनांक: 19.06.2024

सीमित निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, नौगावां को एक वर्ष के लिए (जुलाई, 2024 से जून, 2025) आवश्यकतानुसार श्रमिक आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों/सेवाप्रदाता संस्थाओं/कृषकों जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाईसेन्स हो, से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक: 25.06.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रूपये 500/- अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगावां, अलवर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक या नगद भुगतान कर दिनांक: 25.06.2024 को प्रातः 11:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांक: 25.06.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा होंगे। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दोपहर 01.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की निविदा एवं क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र.सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रु)	धरोहर राशि
1.	केन्द्र के प्रक्षेत्र पर कृषि कार्य, कार्यालय में सफाई कार्य व कम्प्यूटर कार्य हेतु अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति।	1,95,000/-	4,000/-


19/06/24
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान वित्त नियंत्रक महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
- श्रीमान प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा सूचना को विश्वविद्यालय पोर्टल तथा sppp पोर्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
- समस्त समिति सदस्य कृषि महाविद्यालय, नौगावां, अलवर।
- नोटिस बोर्ड पंचायत समिति/तहसील कार्यालय/ग्राम पंचायत नौगावां, बीजवा एवं मोहम्मदपुर।
- रखित पत्रावली।


19/06/24
अधिष्ठाता



कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर- जयपुर)
नौगावा - 301 025, अलवर (राज.)

डॉ. एस. एस. यादव
अधिष्ठाता

ई-मेल : dean.coanavgaon@sknau.ac.in मो.: 9414820579

क्रमांक: एफ.(भंडार)/कृ.महा.नौगावां/2024/975

दिनांक: 19.06.2024

श्रमिक आपूर्ति हेतु सीमित निविदा

क्र.सं.	विवरण
1.	योजना का नाम:- कृषि महाविद्यालय, नौगावां पर विभिन्न कार्यों के लिए कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु सीमित निविदा।
2.	कार्य की अनुमानित अवधि :- 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025।
3.	निविदा संदर्भ :-केन्द्र प्रक्षेत्र एवं कार्यालय पर विभिन्न कार्यों के लिए कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।
4.	निविदा अनुमानित लागत :- 1,95,000/- रुपये।
5.	धरोहर राशि:- 4,000/- रुपये।
6.	निविदा प्रपत्र शुल्क:- 500/- रुपये।
7.	निविदा फार्म प्राप्त करने का समय व दिनांक :- कार्यालय कार्य दिवस में निविदा जारी होने से लेकर 25 जून, 2024 प्रातः 11.00 बजे तक।
8.	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि :-25.06.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक।
9.	निविदा खोलने की तिथि :-25.06.2024 को दोपहर 1.00 बजे।
10.	निविदा खोलने का स्थान:-कृषि महाविद्यालय, नौगावां।
11.	पत्र व्यवहार हेतु पता :- कृषि महाविद्यालय, नौगावां, अलवर।
12.	फर्म द्वारा घोषणा :-फर्म के काली सूची में नही होने से संबंधित।
13.	दरें:-प्रपत्र-2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है।

निविदा हेतु शर्तें

- प्रस्तावित सीमित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिस पर "अस्थाई श्रमिकों की आपूर्ति कार्य" लिखा हो को कृषि महाविद्यालय, नौगावां- 301 025 अलवर (राज.) को प्रेषित होनी चाहिए।
- प्रस्तावित दर अंकों में स्पष्ट लिखकर देनी होगी किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर सीमित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- सीमित निविदा दाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसके प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना जरूरी है।
- सीमित निविदा दाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्न ओवर प्रमाण पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
- सीमित निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्य दिवस में रुपये 500/- जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।

6. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता का होगा, इसके लिए इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. श्रमिकों को विभिन्न कार्य यथा कार्यालय कार्य/प्रक्षेत्र कार्य संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार करने होंगे तथा श्रमिक व्यय एवं आवश्यक औजारों की व्यवस्था निविदा दाता को ही करनी होगी। जिनका कोई भी अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
8. प्रक्षेत्र/कार्यालय कार्यों के दौरान अथवा आने जाने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे सांप काटना, विद्युत दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा इत्यादि की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदा दाता/संवेदक की होगी तथा केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. श्रमिकों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिकों को बदलने अथवा निविदा को निरस्त करने का अधिकार कृषि महाविद्यालय, नौगावां को होगा एवं जो भी निर्णय होगा संवेदक को मान्य होगा।
10. श्रमिकों के लिए आवश्यकता होने पर आवास की व्यवस्था संवेदक को ही करनी होगी। केन्द्र द्वारा किसी भी प्रकार के आवास की सुविधा देय नहीं होगी।
11. निर्धारित अवधि के दौरान प्रथम वरियता प्राप्त निविदा दाता द्वारा कार्य नहीं संभालने पर दूसरी वरियता प्राप्त निविदा दाता को कार्य आदेश जारी कर दिया जायेगा एवं अनुबंध की अवधि कार्यादेश जारी होने की तारीख से 30 जून, 2025 तक के लिए मान्य होगा।
12. निविदा दाता की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी तथा सीमित निविदा दाता या उसके मजदूर केन्द्र परिसर में मदिरा या अन्य किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे एवं सेवन करते हुए पाये जाने पर केन्द्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
13. आवश्यकतानुसार श्रमिकों को किसी भी कार्य (प्रक्षेत्र अथवा कार्यालय) पर लगाया जा सकता है। केन्द्र पर श्रमिक आवश्यकतानुसार ही लगाए जायेंगे एवं विश्वविद्यालय द्वारा रथाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उन श्रमिकों को हटाया जा सकता है।
14. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
15. श्रमिकों को लाने, ले जाने, आदि कार्य व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।
16. चौकीदार/श्रमिक आदि अपने कार्य एवं उपस्थिति का सत्यापन प्रत्येक माह के अंत में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से करायेगा। सत्यापन उपरांत ही उस माह का मानदेय देय होगा।
17. किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि श्रमिक/चौकीदार कार्य से अनुपस्थित पाया जाता है या कार्य में लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
18. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
19. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद का न्यायिक क्षेत्र अलवर होगा।
20. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि के विवरण के बावत इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
21. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत पर राशि रुपये 500/- प्रतिदिन के हिसाब से इस कार्यालय में शास्ति (पेनल्टी) की राशि निविदा दाता को जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।



22. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई. एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
23. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बिटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
24. निविदा दाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी जोखिम एवं लागत पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदा दाता से की जावेगी तथा विलंब से कार्य करने पर शास्ति (पेनल्टी) की कटौती GG & AR, TTPPA2012 व RTPPR2013 के प्रावधानानुसार की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी संवेदक/फर्म की रहेगी। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
25. सफल निविदा दाता को रुपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व संवेदक द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
26. अगर निविदा दाता/फर्म अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है एवं उसके द्वारा जमा अमानत राशि जप्त कर ली जाएगी।
27. कृषि महाविद्यालय, नौगावां द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्म में दर्शायी गयी हैं) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
28. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व. हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।
29. निविदा दाता/फर्म को कार्य की अनुमानित राशि रुपये 1,95,000/- पर रुपये 4,000/- धरोहर राशि के रूप में नगद या बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा जो कि श्रीमान् अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगावां के नाम से निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
30. प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
31. न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.5 (6)न्यू.म. /श्रम/2000/पार्ट/7182 जयपुर, दिनांक 06.03.2019 के अनुसार लागू होगी।
32. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार एवं श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के अनुसार लागू होगी।
33. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर इस संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
34. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
35. सीमित निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी।

36. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
37. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें सीमित निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
38. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
39. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान के प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
40. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
41. माहवार कार्य की गणना 26 दिवस (श्रम विभाग राजस्थान सरकार अधिसूचना क्रमांक/एफ. 5 (6)/न्यू.म./श्रम/2000/ पार्ट/1125 दिनांक 16.01.2018) के हिसाब से की जावेगी।
42. नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जावेगा।
43. कार्यों का भुगतान संतोशजनक होने पर बिल कोष कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा एवं वहां से पास होने पर ही भुगतान किया जायेगा। समस्त भुगतान चैक/NEFT द्वारा किया जावेगा तथा किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
44. यह ठेका किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिस फर्म के नाम ठेका है वही कार्य करवायेगी।
45. सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र में दी गई दरें एक वर्ष तक के लिए मान्य होंगी, जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।
46. किसी भी ब्लैक लिस्टेड फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं कर सकता।
47. समस्त शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के उपरांत अपने हस्ताक्षर करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट— निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी—

1. लिफाफा नं0 1 में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र ESI/PF रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बिड सिक्यूरिटी का DD/BC/GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्तें इत्यादि प्रस्तुत की जानी है। इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा नं0 2 नहीं खोला जावेगा।
2. लिफाफा नं0 2 में केवल दर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

हस्ताक्षर निविदादाता


19/06/24
अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय

कृषि महाविद्यालय, नौगावां
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

विभिन्न कृषि कार्यों हेतु श्रमिक आपूर्ति हेतु सीमित निविदा।

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

1. संवेदक द्वारा पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार किया जावेगा। (संलग्न लिफाफा नं. 1 में रखें)

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत।				

मैं उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए कृषि एवं संबंधित कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही हैं।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

कृषि महाविद्यालय, नौगावां
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

श्रमिक आपूर्ति सीमित निविदा प्रपत्र-1
(लिफाफा न. 1 में रखें)

1.के लिए सीमित निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)।
2. सीमित निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पता.....
.....
3. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है कृषि महाविद्यालय, नौगावां।
4. सन्दर्भ :
5. हम सीमित निविदा सूचना संख्या.....दिनांक..... की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
6. ड्राफ्ट नं./चैक संख्या/नगद/ रसीद संख्या..... दिनांक..... रूपये..... धरोहर राशि के साथ संलग्न है।
7. आयकर विवरणी सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेशनए PAN, GST नम्बर सर्टिफिकेट संलग्न है।
8. निर्माता/डीलर का घोषणा पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर निविदादाता



कृषि महाविद्यालय, नौगावां
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

कृषि श्रमिक आपूर्ति
तकनीकी निविदा प्रपत्र-2
(लिफाफा न. 1 में रखें)

निविदा दाता फर्म का नाम व पता मय दूरभाष :-

1. जी.एस.टी. नं. (छाया प्रति संलग्न करें) :
2. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
3. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
4. निविदा दाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
5. सफल निविदा दाता को रूपये 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
7. निविदा सील बंद लिफाफे में जमा की जावेगी तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा।
8. श्रमिकों को कार्यालय एवं कृषि कार्य हेतु जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर, साफ सफाई, निराई/गुडाई/कटाई/सिंचाई/दवाईयों का छिड़काव/थ्रेसिंग कार्य/नर्सरी/चौकीदारी/स्टोर आदि कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
9. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चात कोश-कार्यालय जोबनेर से पास होने के बाद बैंक खाते में किया जावेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बिट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न करें)।
12. जी.एस.टी., ई.एस.आई. और ई.पी.ए.फ. का पंजीकरण प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न करें)।
13. पैन नं. (छाया प्रति संलग्न करें)।
14. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।

नोट: निविदा के साथ दिये हुए सभी प्रपत्र निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें।



हस्ताक्षर निविदादाता

कृषि महाविद्यालय, नौगांवा अलवर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

वित्तीय निविदा प्रपत्र-2

(लिफाफा नं. 2 में रखे)

कृषि महाविद्यालय के कार्यालय और फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों के लिए श्रमिक आपूर्ति हेतु सीमित निविदा दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी।

क्र सं.	कार्य की प्रकृति/श्रमिक का प्रकार	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी न्यूनतम मजदूरी दर रूपये प्रति दिन	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर रूपये प्रतिदिन	EPF दर प्रतिशत (13 प्रतिशत)	ESI दर प्रतिशत (3.25 प्रतिशत)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति श्रमिक प्रति दिन	कुल राशि (4 से 7 तक का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल श्रमिक	259/-					
2	अर्द्ध कुशल श्रमिक	271/-					
3	कुशल श्रमिक	283/-					
4	उच्च कुशल श्रमिक	333/-					

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर

तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर



वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रु)
2021-22	
2022-23	
2023-24	
योग	
औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष सी.ए. द्वारा प्रमाणित	

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय मोहर व दिनांक

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा इकाईके रूप में जहाँ कही भी श्रमिकों की आपूर्ति की है, वहां पर विगत 3 वर्षों के दौरान हमारा कार्य संतोषप्रद रहा है एवं कार्य असंतोषप्रद होने के कारण किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा हमारे फर्म को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरा/हमारा किसी भी न्यायलय में सेवा प्रदायगी में दोषी होने का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा विषयान्तर्गत मुझे/हमें किसी भी न्यायलय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय मोहर व दिनांक



Fall clause प्रमाण-पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि हमने कृषि व अन्य कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रचलित निविदा के क्रम में अनुबंध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड व स्वायत्तशासी संस्था आदि को श्रमिकों की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय मोहर व दिनांक



निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस कार्य के लिए निविदा दी है, मैं/हम उसके पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मेरे/हमारे विरुद्ध कार्यालय द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय मोहर व दिनांक

